

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़  
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 28/2019

1. जावेद अली पुत्र समसुदीन जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 06 नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।

—वादीगण

**बनाम**

1. मोहम्मद उमर पुत्र समसुदीन जाति व्यापारी निवासी वार्ड नम्बर 6 नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।
2. रूस्तम अली पुत्र समसुदीन जाति व्यापारी निवासी वार्ड नम्बर 6 नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।
4. जैतून पत्नी स्व० समसुदीन जाति व्यापारी मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 6 नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।
5. रजिया पुत्री स्व० समसुदीन पत्नी रफीक
6. नफीसा पुत्री स्व० समसुदीन पत्नी आरीफ जाति व्यापारी मुसलमान निवासीगण डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुन्डुनू।

—प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी :- श्री राकेश कुमार सारस्वत

अधिवक्ता प्रतिवादी नं. 1,2,4ल. 6 :- स्नेहलता वर्मा

**दावा- स्थाई व्यादेश व विभाजन  
निर्णय**

निर्णय दिनांक 09.01.2020

वाद वादीगण दिनांक 13.09.2019 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काशत के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भूअ./2019/2358 दिनांक 18.10.2019 प्रस्तुत करने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण डिक्री किये जाने में सहमति जाहिर करने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

उक्त वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। कस्बा नवलगढ़ की सरहद में भूमि खाता संख्या 492 पुराना 441 में भूमि खसरा नम्बर 191 रकबा 2.79 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है:-

1. कस्बा नवलगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 191/1 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का मोहम्मद उमर पिता समसुदीन हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा.देह खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।
2. कस्बा नवलगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 191/3 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का रूस्तम अली पिता समसुदीन हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान साकिन देह खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।
3. कस्बा नवलगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 191/2 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का जावेद अली पिता समसुदीन हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान साकिन देह खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।
4. कस्बा नवलगढ़ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 191/4 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय का मोहम्मद उमर, रूस्तम अली, जावेद अली पिता समसुदीन हि.ब.हि. जाति मुसलमान साकिन देह खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 09.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरारीलाल शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ़

( ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी )  
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ  
श्री मुरारीलाल शर्मा ( आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा: घोषणार्थ, दुरुस्त करवाने रिकार्ड,  
स्थाई निषेधाज्ञा व निरस्त करवाने विक्रय पत्र

मुकदमा सं०:- 28/2019

( जावेद अली बनाम मोहम्मद उमर आदि )

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्री मुरारीलाल शर्मा ( आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी, वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब- मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 09.01.2020 निर्णय वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। कस्बा नवलगढ की सरहद में भूमि खाता संख्या 492 पुराना 441 में भूमि खसरा नम्बर 191 रकबा 2.79 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. कस्बा नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 191/1 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का मोहम्मद उमर पिता समसुदीन हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा.देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. कस्बा नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 191/3 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का रूस्तम अली पिता समसुदीन हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. कस्बा नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 191/2 रकबा 0.90 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम का जावेद अली पिता समसुदीन हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
4. कस्बा नवलगढ की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 191/4 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म बारानी द्वितीय का मोहम्मद उमर, रूस्तम अली, जावेद अली पिता समसुदीन हि.ब.हि. जाति मुसलमान साकिन देह खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

जन.....-..... मुबलिग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....-..... फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....-..... का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 09 माह 01 सन.2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपये पैसे  
नवलगढ

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	-	स्टाम्प अर्जी	-
महनताना वकील	-	महनताना वकील	-
खर्चा गवाहान	-	खर्चा गवाहान	-
फीस कमिश्नर	-	फीस कमिश्नर	-
बाबत इजराय हुक्मनामा	-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
मुतफरिक मिजान	6.00	मुतफरिक मिजान	0.00

